

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय वन शिक्षा निदेशालय

Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change Directorate of Forest Education डाकघर न्यू फौरेस्ट, देहरादून—248 006

P.O. New Forest, Dehra Dun-248 006

दूरभाष नं./Tel. No. 0135-2750127, 2757326 फैक्स/Fax-0135-2750125

सं0 4-547 / प्रशि0-11 / विशिनि-2012 / 2163-2246

दिनाँक 24

गस्त, 2018

कार्यालय आदेश

वन शिक्षा निदेशालय अपने अधीनस्थ अकादिमयों, कोयम्बटूर, देहरादून, बर्नीहाट, कुर्सियोंग तथा वन शिक्षा निदेशालय के तकनीकी नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न वन अकादिमयों के माध्यम से वन क्षेत्रपाल अधिकारियों को 18 माह का इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान करता है। वन शिक्षा निदेशक द्वारा भारत सरकार के "प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के लिए" एवं पहले के अधीन प्रदत्त शिक्तयों के अनुसार वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के 18 माह के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की

दरों को समय—समय पर निर्धारित करता है। प्रशिक्षण व्यय की निम्नलिखित मदों में पिछली बार निम्नानुसार संशोधन किया गया थाः—

विवरण	पिछली संशोधन की तिथि	
शिक्षा शुल्क रू० ६५,,००० / — प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	फरवरी, 2015	
दौरा व्यय रू० 1,20,000/— प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए (महाविद्यालय में ज्वाईनिंग व लीविंग तथा छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय के अतिरिक्त)	फरवरी, 2015	
उपकरण भत्ता रू० 50,000 / – प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	फरवरी, 2015	
कॉशन मनी रू० 10,000 / – प्रति प्रशिक्षणार्थी (रिफन्डेबल)	फरवरी, 2015	
मासिक वृत्ति (Stipend) रू० 26,000/— प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी (यदि वेतन का भुगतान नहीं किया जाता हो तो)	फरवरी, 2015	

पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार सभी उपयोगी वस्तुओं की लागत काफी हद तक बढ़ी हैं। मूल्यों तथा रखरखाव में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण व्यय की मौजूदा दरों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि निधि की कमी के चलते वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के प्रशिक्षण में कठिनाई उत्पन्न न हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा दिनांक 21 जून 2004 की अधिसूचना सं. 3—17/99—आर0 टी0(1) के अनुसार वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के "प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 के सामान्य नियम भाग IV के नियम संख्या 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून/कोयम्बटूर/बर्नीहाट, केन्द्रीय अकादमी वन सेवा, कुर्सियोंग एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित वानिकी के 18 माह के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रायोजित होने वाले वन क्षेत्रपाल अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण शुल्क, दौरा व्यय, उपकरण भत्ते, कॉशन मनी तथा मासिक वृत्ति (Stipend) की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

कम सं0	विवरण	संशोधित दर प्रति वन क्षेत्रपाल अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के लिए	टिप्पणी
1	शिक्षा शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी के सम्पूर्ण कोर्स के लिए	क्त० ८०,००० / — प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	01.04.2018 से / के बाद प्रारम्भ होने वाले 2018—2019 सत्र से लागू होगा।
2	दौरा व्यय (महाविद्यालय में ज्वाईनिंग व लीविंग तथा छुटि्टयों के दौरान यात्रा व्यय के अतिरिक्त)	रू० 1,50,000/— प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	तदैव
3	उपकरण भत्ता प्रति प्रशिक्षणार्थी	रू० ७०,००० / – प्रति प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिये।	तदैव
4	कॉशन मनी प्रति प्रशिक्षणार्थी	रू० 10,000 / — प्रति प्रशिक्षणार्थी जो कि केवल प्रवेश के समय देय (रिफन्डेबल)	तदैव
5	मासिक वृत्ति (Stipend) (यदि वेतन का भुगतान नहीं होता है)	रू० 44,900 / – प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी (यदि वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है)	यह दिनांक 01 अप्रैल 2018 से एवं वर्तमान में चल रहे बैच सहित लागू है।



भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय वन शिक्षा निदेशालय

Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change Directorate of Forest Education डाकघर न्यू फौरेस्ट, देहरादून–248 006

P.O. New Forest, Dehra Dun-248 006

दूरभाष नं./Tel. No.0135-2750127, 2757326 फैक्स/Fax-0135-2750125

No.4-547/Trg.-II/DFT-2012/2163-2246

Dated the 4 August, 2018

OFFICE ORDER

The Directorate of Forest Education is imparting eighteen months Induction Training of Forest Range Officers (FRO) through its constituent Academies at Dehradun, Coimbatore, Burnihat and Kurseong as well as through state run Forest Academies/FTI's under technical control of Directorate of Forest Education, Dehra Dun. Director Forest Education is fixing from time to time the rates of training expenses required for eighteen months Certificate Course of Forest Range Officers, under the power vested with him under the Entrance and Training Rules (Revised), 2004 for Forest Range Officers and earlier version of the Government of India.

The training expenses in respect of the following items were last revised as under:-

Particulars	Last Revised in	
Tuition fee @ Rs. 65,000/- per Trainee for the whole course	February, 2015	
Tour Expenses @ Rs. 1,20,000/- per trainee for whole course	-do-	
Equipment Allowance @ Rs. 50,000/- per trainee for whole course	-do-	
Caution Money @ Rs. 10,000/- per trainee (Refundable)	-do-	
Stipend @ Rs. 26,000/- per month per trainee (if salary is not paid)	-do-	

Over the past few years the cost of all commodities has gone up substantially. Considering the increase in prices and maintenance cost, it has become necessary to revise the existing rates of training expenses, so that the training of Forest Range Officers does not suffer for want of funds.

In view of above and under the power vested with undersigned vide notification F. No. 3-17/99-RT(I) dated 21st June, 2004 for "Entrance & Training Rules (Revised), 2004 for Forest Range Officers" General Rules (Section-IV) Rule 30, the rate of Tuition Fee, Tour Expenses, Equipment Allowance, Caution Money and Stipend in respect of Forest Range Officer Trainees sponsored for eighteen months Certificate Course in Forestry at various Central Academies for State Forest Service, Dehra Dun/Coimbatore/Burnihat, Central Academy of Forest Education, Kurseong and state run Forest Academies/FTI's are hereby revised as under:-

S.No.	Particulars	Revised Rates per Forest Range Officer Trainee	Remarks
1	Tuition Fee per trainee for the whole course	Rs. 80,000/- per trainee for the whole course	Effective from 2018-2019 batch starting after 01.04.2018
2	Tour Expenses Excluding journey expenses during joining, leaving and vacation/leave.	Rs.1,50,000/- per trainee for the whole course.	-do-
3	Equipment Allowance per trainee	Rs. 70,000/- per trainee for the whole course.	-do-
4	Caution Money (Refundable) per trainee at the time of admission.	Rs.10,000/- per trainee at the time of admission (Refundable).	-do-
5	Stipend (if salary is not paid)	Rs. 44,900/- per trainee per month (if salary is not paid)	Effective from 1st April, 2018 including trainees undergoing training in current batches.

- शिक्षण शुल्क, दौरा व्यय, उपकरण भत्ते तथा कॉशन मनी की संशोधित दरें 1 अप्रैल 2018 को अथवा पश्चात् प्रारम्भ होने वाले 2018–2019 बैच से प्रभावी होगी।
- 2. मासिक वृत्ति (Stipend) अकादिमयों में चल रहे वर्तमान प्रशिक्षण बैचों में भी दिनांक 01.04.2018 से लागू होगा।
- 3. प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण के समय ठहरने तथा यात्रा व्यय सामान्यतः भारत सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार से अधिक नहीं होगा एवं भारत सरकार के अधिकारियों के समान लेवल / ग्रेंड वेतन की पात्रता के अनुरूप होगें। यदि किसी कारणवश ज्यादा व्यय करने की आवश्यकता होती है तो यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराना होगा।
- 4. सभी अकादिमयों / कालेज के प्रधानाचार्य / निदेशक उपर्युक्त विवरण के अनुसार व्यय का लेखा भारत सरकार के व्यय खातों के अनुरक्षण के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार तैयार करेगें तथा बैच के समापन की तिथि से तीन महीनों के भीतर शेष रािश, यदि कोई हो तो, प्रायोजित करने वाले राज्य / प्राधिकारी को लौटायेंगे।

(अंग्रेजी अनुवाद पिछले पृष्ठ पर)

(आर0 पी0 सिंह, भा.व.से.) वन शिक्षा निदेशक

मानक वितरण

- 1. सचिव (वन), समस्त राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश।
- 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेना प्रमुख), समस्त राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश।
- 3. उप वन महानिदेशक (आरटी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली-110 003.
- 4. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून (उत्तराखंड)/कोयम्बटूर (तमिलनाडु)/बर्नीहाट (असम)।
- 5. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी वन शिक्षा, कुर्सीयोंग (प० बंगाल)।
- 6. निदेशक / प्रधानाचार्य, सभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित अकादिमयों / वन प्रशिक्षण संस्थान।
- 7/ गार्ड फाईल।

- 1. The enhanced rate of Tuition Fee, Tour Expenses, Equipment Allowance and Caution Money shall be effective from the 2018-19 batch starting on or after 1st April, 2018.
- 2. The rate of stipend is applicable to the current batches undergoing training in the Academies as well with effect from 01.04.2018.
- 3. Lodging and Travel Expenses during tour of the officer trainees shall not exceed entitlement of same level/grade pay as for officers of Government of India as per the T.A. Rules of the Government of India. However, if due to unforeseen circumstances higher expenses are to be incurred, this should be approved by the competent authorities.
- 4. The Principal/Director of all the Academies/College shall maintain Accounts of expenses as per particulars shown above in accordance with Rule and Procedures of maintaining accounts of expenses under Government of India, and refund the balance amount, if any, to the sponsoring State/Authority within three (3) months from the date of completion of the course.

(R.P. Singh, IFS)
Director Forest Education

DISTRIBUTION: -

- 1. The Forest Secretary, all States/Union Territories.
- 2. The Principal, Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), all States/Union Territories for information and necessary action.
- 3. The Deputy Inspector General of Forests (RT) Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.
- 4. The Principal, Central Academy for State Forest Service, Dehradun (U.K.) / Coimbatore (T.N.) / Burnihat (Assam) for information and necessary action.
- 5. The Principal, Central Academy of Forest Education, Kurseong (W.B.) for information and necessary action.
- 6. Director's/Principal's of all state run Forest Academy/FTI's for information and necessary action.
- 7/ Guard File.